

कल्याण से जीएसटी लाभ तक: आधार भारत के डिजिटल शासन प्रणाली की रीढ़ की हड्डी के रूप में उभरता है

चंडीगढ़, 24 मार्च 2026: चंडीगढ़ में 24 मार्च 2026 को आयोजित आधार पारिस्थितिकी तंत्र पर उच्च स्तरीय कार्यशाला में, माननीय पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आधार को आधुनिक शासन के परिवर्तनकारी स्तंभ के रूप में वर्णित किया, जिसने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और गरिमा को काफी बढ़ाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधार को सीधे बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfers) के साथ जोड़ने से यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी लाभ अब बिना किसी बिचौलिए के सीधे उन लाभार्थियों तक पहुँचते हैं जिनके लिए वे बने हैं। इससे उन व्यापक लीकेज की समस्या खत्म हो गई है, जिसने कभी आपदा राहत, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों जैसी कल्याणकारी योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था।

उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी पहले आधार के कारण संभव हुई हैं, जो लाभार्थियों को पूरे देश में सहजता से पात्रताओं तक पहुँचने की अनुमति देती हैं, जबकि इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव को भी नोट किया, जिसमें बेहतर कर अनुपालन और जीएसटी राजस्व में लगभग ₹66,000 करोड़ प्रति माह से ₹2 लाख करोड़ से अधिक की पर्याप्त वृद्धि शामिल है। राज्यपाल ने जीवंत चुनौतियों को भी स्वीकार किया, जिसमें बुजुर्ग नागरिकों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की समस्याएं, आधार नामांकन में देरी, और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक नागरिक-अनुकूल और समावेशी प्रशासनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता शामिल है कि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रणाली से बाहर न रहे।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने सभा को संबोधित किया और आधार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख विकासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवीन रूप से लॉन्च किए गए आधार एप्लिकेशन के बारे में बात की और विदेशी आधार पंजीकरण पहल के महत्व पर जोर दिया, जो विदेश में रहने वाले भारतीय निवासियों को सेवाएं प्रदान करने में विस्तार करता है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि आधार ने सरकारी सेवाओं तक सहज पहुंच सक्षम करके, पारदर्शिता में सुधार कर और पूरे देश में डिजिटल पहचान को मजबूत करके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है।

इस पर आधारित, पंजाब के मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा ने राज्य के अनुभव को प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि आधार एकीकरण ने कल्याण और खरीद प्रणालियों को अत्यधिक मजबूत और लगभग लीकेज-रहित बना दिया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, आधार प्रमाणीकरण ने लाभार्थी पहचान को सुव्यवस्थित किया है, अयोग्य प्राप्तकर्ताओं को छान लिया है, और वास्तविक लाभार्थियों के लिए स्थान बनाया है, जिसमें फिंगरप्रिंट पहचान में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से मैनुअल श्रमिकों की सहायता के लिए फेस प्रमाणीकरण जैसी नवाचारों का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, आधार को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रियों के साथ एकीकरण ने लाभार्थी डेटाबेस को स्वचालित रूप से अपडेट करने सक्षम किया है, जिससे योजनाओं में रिसाव को और कम किया गया और सटीकता में सुधार हुआ। मुख्य सचिव ने गतिशील डेटा प्रबंधन के लिए छोटे बच्चों और विदेशी

नागरिकों या दोहरी दस्तावेजीकरण से संबंधित मामलों में संभावित दुरुपयोग की निगरानी सहित चल रही चुनौतियों की भी ओर इशारा किया।

इस मौके पर मौजूद मुख्य मेहमानों ने डिजिटल शासन के आधारशिला के रूप में आधार का लाभ उठाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, निरंतर सुधार, तकनीकी नवाचार, और समावेशी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ कुशलता से, पारदर्शी रूप से, और केवल उचित लाभार्थियों को प्रदान किए जाएं।
